संख्या-83/2018/921/26-3-2018-23(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2018

विषयः-समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित करने के लिये शैक्षणिक कार्मिको के आवास निर्माण के लिये धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-688-89/स.क./आ.प.वि-प्रकोष्ठ(144)/2017-18, दिनांक-14.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत् तालिका में उल्लिखित 11 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कार्मिकों के आवास (ट्रान्जिट हास्टल) आदि के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय आकलित लागत रू0-289.35 लाख की दर से कुल लागत रू0-3182.85 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि रू0-1591.43 लाख (रू0 पन्द्रह करोड इक्यानबे लाख तैतालिस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण मद में मूल बजट प्राविधान में उपलब्ध रू0-83.65 लाख सीधे तथा शेष रू0-1507.78 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रूपया लाख में)

क्र.सं	विद्यालय का नाम	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में जारी धनराशि
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौगढ़, चन्दौली	289.35	144.675
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, पैढ़त, फिरोजाबाद	289.35	144.675

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दुनारा झांसी	289.35	144.675
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जोगियाटप्पा, भानपुर बस्ती	289.35	144.675
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दरियापुर, हमीरपुर	289.35	144.675
6	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जहागीरपुर, अम्बेडकरनगर	289.35	144.675
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मेहनगर, आजमगढ़	289.35	144.675
8	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हाजीपुर महमूदाबाद, सीतापुर	289.35	144.675
9	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, तरसड़ा, वाराणसी	289.35	144.675
10	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चठिया, धनवार, हरदोई	289.35	144.675
11	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, खासमऊ खागा, फतेहपुर	289.35	144.675
	योग	**3182.85**	**1591.43**

(i) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) से तत्काल एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) कराकर, धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य आरम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(iii) कार्यो की द्विरावृत्ति के लिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(iv) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग हेतु वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.08. 2017 दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेक्स चार्ज लिया जायेगा।

(viii) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा एवं प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा तथा रू0-83.65 लाख सीधे योजना में उपलब्ध बजट से एवं शेष रू0-1507.78 लाख का व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

<u>पृसं0-83/2018/921(1)/26-3-2018 तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3 प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।

4 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

5 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6 जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, चन्दौली, फिरोजाबाद, झांसी, बस्ती, हमीरपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, सीतापुर, वाराणसी, हरदोई एवं फतेहपुर।

7 वित्त नियंत्रक, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

8 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

9 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(यू0पी0आर0एन0एस0एस0) लखनऊ

10 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0शासन।

11 बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।

12 निदेशक, एन0आई0सी0।

13 गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2017-2018 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड़ एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टरलॉकिंग की व्यवस्था-00-24-वृहत निर्माण कार्य-	15000.00	1507.78	1507.78	1507.78	13492.22
योग	15000.00	1507.78	1507.78	1507.78	13492.22

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहत निर्माण कार्य-	6000.00	7507.78	1507.78	1507.78	7507.78
योग	6000.00	7507.78	1507.78	1507.78	7507.78

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0- 682 /दस-2018, दि0 27.3.18

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 83/2018/921 (1)/26–3–2018–23(विविध)/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग (अनुभाग–3), उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, पंचायतीराज,उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8– वित्त नियंत्रक, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
10– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
11– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।